



Neutral Citation No. - 2026:AHC:176722

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3873/2026

राहुल तिवारी

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

अरजीत श्रीवास्तव, शाल्विन

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, कामेश्वर सिंह, सुधांशु

कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. राज्य द्वारा दायर प्रति-शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया गया।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शाल्विन; सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री कामेश्वर सिंह और राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आशुतोष सिंह को सुना गया।
3. यह आवेदन निचली अदालत में चल रहे मुकदमे के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है। यह मामला अपराध संख्या 490/2025, धारा 103(1), 238, 61(2) और 3(5) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना कोटवाली करवी, जिला चित्रकूट के अंतर्गत दर्ज है।
4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि यद्यपि अपीलार्थी का नाम बुद्धिविलास के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, लेकिन यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। मृतक को अंतिम बार देखे जाने और मोटरसाइकिल की बरामदगी के अलावा, जिस पर मृतक उसके और सह-आरोपी के साथ था, और मोटरसाइकिल से 2.5 लाख रुपये बरामद किए गए थे, अपीलार्थी के खिलाफ अभिलेख में कोई अन्य सबूत नहीं है।
5. उन्होंने आगे कहा कि यह स्वीकार किया जाता है कि जिस कथित बाइक से बरामदगी की गई है, वह अपीलार्थी की नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उन्होंने आगे कहा कि अभिलेख में अपीलार्थी के विरुद्ध ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो अपीलार्थी को इस अपराध से जोड़ सके, क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी, मृतक और सह-आरोपी बुद्धिविलास एक धार्मिक समारोह में शामिल थे, इसलिए यदि अपीलार्थी मृतक के साथ था भी तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता।

7. उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 8.8.2025 से यानी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में है।

8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनादाता के अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मृतक, यानी सूचनादाता के पिता, अकेले रहते थे और अपीलार्थी सहित दोनों आरोपियों ने धार्मिक समारोह के झूठे बहाने उनसे पैसे ँँठ लिए थे। पहले भी वे उन्हें ठग चुके थे और घटना वाले दिन वे मृतक के साथ धार्मिक समारोह में गए थे। मृतक के पास तीन लाख रुपये भी थे और समारोह के बाद मृतक को अपीलार्थी और सह-आरोपी बुद्धिविलास के साथ आखिरी बार देखा गया था। यह बात सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है और यहां तक कि 7.8.2025 को जब अपीलार्थी और सह-आरोपी बुद्धिविलास को गिरफ्तार किया गया था, तब मोटरसाइकिल से 2.5 लाख रुपये भी बरामद हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी ने जमानत याचिका में इन निर्णायक परिस्थितियों का स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

9. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि इस मामले में अपीलार्थी पिछले एक साल से जेल में है, लेकिन उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति और कथित अपराधों के लिए निर्धारित सजा को देखते हुए, इस आधार पर उसे जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।

10. उन्होंने आगे निवेदन किया कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की जमानत याचिका खारिज की जाए।

11. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलें सुनीं और मामले का अभिलेख देखा।

12. यद्यपि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, फिर भी निम्नलिखित निर्णायक परिस्थितियाँ अपीलार्थी के विरुद्ध हैं:-

क) अपीलार्थी और सह-आरोपी मृतक के साथ घर से धार्मिक अनुष्ठान के लिए गए थे और मृतक के पास उनके साथ तीन लाख रुपये भी थे। सीसीटीवी फुटेज में अपीलार्थी और अन्य आरोपी धार्मिक अनुष्ठान से पहले और बाद में भी मृतक के साथ देखे गए थे।

ख) जब अपीलार्थी और सह-आरोपी बुद्धिविलास को गिरफ्तार किया गया, तब वे उस मोटरसाइकिल पर बैठे थे जिस पर वे मृतक को भी ले जा रहे थे और मोटरसाइकिल से 2.5 लाख रुपये भी बरामद किए गए थे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ग) सूचनादाता के अनुसार, अपीलार्थी और सह-आरोपी बुद्धिविलास अकेले रहने वाले मृतक से कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के बहाने पैसे वसूलते थे।

13. उपरोक्त निर्णायक परिस्थितियों के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सका और पूछताछ करने पर भी उसके अधिवक्ता ने कोई प्रत्युत्तर शपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखा, अतः प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी निर्दोष है।

14. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में अपीलार्थी पिछले एक वर्ष से जेल में हैं, लेकिन उस पर हत्या का मुकदमा चल रहा है, अतः इस न्यायालय के विचार में अपराध की गंभीरता को देखते हुए, केवल इसी आधार पर उसे इस स्तर पर जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।

15. अतः उपरोक्त वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के मतानुसार, अपीलार्थी इस स्तर पर जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

16. तदनुसार, तत्काल जमानत आवेदन **इस स्तर पर खारिज** किया जाता है।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

20 अगस्त, 2026

अंकिता